



## इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या - 20439 वर्ष 2026

साहिल सलमानी

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : ब्रह्मा कुमार तिवारी

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

### माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सह-अभियुक्त इंतखाब के जमानत आदेश की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसे रिकॉर्ड पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री ब्रह्मा कुमार तिवारी तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
3. यह तत्काल जमानत याचिका आवेदक को थाना छपार, जिला मुजफ्फरनगर के अपराध संख्या 67/2026, धारा 109(1), 3(5) बीएनएस और 8/20 एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत जमानत पर रिहा करने के लिए दायर किया गया है।
4. अभियोजन पक्ष का आरोप है कि आवेदक और सह-अभियुक्त इंतखाब के संयुक्त कब्जे से 30 किलोग्राम गांजा बरामद होना बताया गया है। उक्त सह-अभियुक्त इंतखाब को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या 18796/2026 में दिनांक 05.06.2026 के आदेश के माध्यम से पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। दावा यह है कि पुलिस ने जानबूझकर रकम को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया है ताकि अपराध को अधिक गंभीर दिखाया जा सके। बरामदगी को लेकर अभियोजन पक्ष की कहानी के सत्यता को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने वाली अन्य तर्क भी दी गई हैं। आगे यह तर्क दी गई है कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के प्रावधानों का पूरी तरह से पालन नहीं हुआ है, और इसलिए, कथित बरामदगी विधिक रूप से अमान्य है। अधिवक्ता



ने उन परिस्थितियों को भी दर्शाने का प्रयास किया है जो आवेदक को गलत तरीके से फंसाए जाने का संकेत देती हैं। अभियुक्त की ओर से दी गई तर्कों में अभियोजन के पीछे दुर्भावना का आरोप भी लगाया गया है। आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा कि आवेदक 13.04.2026 से कारावास में है और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।

5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध किया और तर्क दिया कि अपराध में उसकी संलिप्तता के पर्याप्त साक्ष्य हैं, हालाँकि, वह इस तथ्य से अस्वीकार नहीं कर सके कि इसी तरह के प्रकरणों में सह-अभियुक्त इंतखाब को इस न्यायालय द्वारा जमानत दी जा चुकी है।
6. मैंने दोनों पक्षों के अधिवक्ता की तर्कों पर गौर किया है और रिकॉर्ड में पेश की गई दस्तावेजों को पढ़ा है।
7. प्रकरणों के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इसी तरह की स्थिति वाले सह-अभियुक्त, इंतखाब को इस न्यायालय की एक समकक्ष पीठ द्वारा जमानत दी गई है और उक्त आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज या स्थगित नहीं किया गया है, और आवेदक 13.04.2026 से कारावास में बंद है, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।
8. तदनुसार, जमानत याचिका **स्वीकार** किया जाता है।
9. आवेदक- **साहिल सलमानी**, जो उक्त प्रकरणों में शामिल है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलका और उतनी ही राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।
  - (i) आवेदक को यह वचन पत्र देना होगा कि साक्षीयों के न्यायालय में उपास्थि होने पर, वह साक्ष्य पेश करने की तिथि पर स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का पालन न करने पर, विचारण न्यायालय इसे जमानत का दुरुपयोग मानकर विधि अनुसार कार्रवाई कर सकता है।
  - (ii) आवेदक को हर तय तिथि पर विचारण न्यायालय में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपास्थि रहना होगा। बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अनुपस्थित रहने पर,



विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-A भा0द0सं0/ 269 B.N.S. के अंतर्गत कार्यवाई कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 द0प्र0सं0/ 84 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय विधि के अनुसार उसके विरुद्ध धारा 174-A भा0द0सं0/ 209 बी.एन.एस. के अंतर्गत कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक को (1) प्रकरणों के खुलने, (2) आरोप तय करने और (3) द0प्र0सं0 की धारा 313 के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या युक्तियुक्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए ऐसी त्रुटि को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना और विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

10. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, जमानत खारिज की जा सकती है।

11.11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करते समय की गई टिप्पणियां, साक्षियों के बयानों के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विद्वान विचारण जज को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेंगी।

15 जून, 2026

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)